न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 26/2016

GCMS NO. : 2016/00548

–:: प्रार्थी ::–

1. नर्बदा पुत्री लाबुराम पत्नि बंशीलाल जाति– बावरी, निवासी– खेड़ादेवगढ़, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. लाबुराम पुत्र हरीया जाति– बावरी, निवासी– खेड़ादेवगढ़, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।
2. उपपंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार जैतारण जिला– पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 15/02/2016

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्तागण, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 25/02/2021

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायला व गैरसायल सं0 एक पिता पुत्री है जो निम्न वंशावली से स्पष्ट है। सरहद मौजा जैतारण मे गैरसायल संख्या एक के नाम की खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 629 रकबा 06–17 बीघा किस्म चाही दोयम वर्तमान जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 मे दर्ज है, जो एक रोंग इन्द्राज है। नकल जमाबन्दी साथ पेश है। पद संख्या दो मे दर्ज कृषि भूमि गैरसायल संख्या एक को पैतृक पुश्तैनी संयुक्त परिवार की सामलाती खातेदारी होने से प्राप्त हुई है, जो सायला द्वारा प्रस्तुत जमावन्दी संवत 2036 से 2039 व 2042 से 2045 की जमाबन्दी में हरीया पुत्र रामचन्द्र के नाम से इन्द्राज है तथा संवत 2042 से 2045 की जमावन्दी मे हरीया फौत होने पर जरिये म्युटेशन संख्या 1008 दिनांक 11/01/1988 के जरिये उनके वारिसान गैरसायल संख्या एक व दुसरे पुत्र सोनाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। उक्त जमाबन्दीयो मे ख0नं0 629 रकबा 15–19 बीघा दोनो भाईयो के नाम दर्ज हुई ततपश्चात उक्त ख0नं0 की कृषि भूमि यावत् दोनो भाईयो के बीच सहमति से तहसीलदार जैतारण के यहां विभाजन होने से गैरसायल संख्या एक के हिस्से मे ख0नं0 629 रकबा 08 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज हुई शेष भूमि उसके भाई सोनाराम के नाम दर्ज हुई तथा बाद में उक्त कृषि भूमि के रकबे मे से गैरसायल संख्या एक ने अपने हिस्से मे से रकबा [illegible] बीघा भूमि बेचान कर दी गयी। जिसके ख0नं0 629/24 दर्ज हुई [illegible] कृषि भूमि ख0नं0 629 रकबा 6–17 बीघा पैतृक पुश्तैनी है जो गैरसायल [illegible] एक को उसके पिता हरीया से प्राप्त हुई है जो सायला द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड से साबित है। पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि होने से सायला को, अपने पिता की सम्पति मे हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत भी हक हिस्सा व अधिकार बनता है जो कानूनन प्राप्त करने की अधिकारी है तथा पैतृक पुश्तैनी भूमि मे सायला को जन्म लेते ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अपने पिता की कृषि भूमि मे अधिकार उत्पन्न हो जाते है। गैरसायल संख्या एक पैतृक पुश्तैनी भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु बेचान हस्तान्तरण कर रहा है तथा करने पर आमादा है जबकि सायला का भी उक्त पैतृक पुश्तैनी भूमि मे 1/8 हिस्सा निहित होने से सायला ने अपने हिस्से तक की भूमि को गैरसायल संख्या एक को बेचान हस्तान्तरण करने से मना किया तो गैरसायल संख्या एक नही माना व सायला ने गैरसायल संख्या एक को यह भी निवेदन किया कि मेरा पैतृक पुश्तैनी भूमि मे हक व अधिकार है व पैतृक पुश्तैनी भूमि का बेचान मत करो परन्तु गैरसायल संख्या एक ने दिनांक 08/02/2016 को सायला को यह ऐलानिया धमकी दी कि उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि को वैचान`पद दवनस3 हस्तान्तरण कर दुगां यदि गैरसायल संख्या एक अपने मंसुबो मे सफल हो जाता है तो सायला को अपने जायज हक व अधिकारो से प्रभावित होगी व पक्षकारान् के बीच अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी। इसलिये सायला ने वाद मे वर्णित भूमि मे अपना नाम दर्ज करवाने बाबत् घोषणा का वाद विरुद्ध गैरसायलान् के प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र मे वर्णित पैतृक पुश्तैनी सामलाती खातेदारी की भूमि मे माफिक हिस्सेनुसार कब्जा काश्त है परन्तु गैरसायल संख्या एक सम्पूर्ण भूमि को बेचान करने पर आमादा है तथा सायला को उसके कब्जे से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दिनांक 08/02/2016 को दी यदि गैरसायल प्रार्थनापत्र मे वर्णित भूमि को बेचान कर देता है तथा उसे कब्जे से बेदखल कर देता है तो सायला अपने जायज हक व अधिकारो से महरुम होगी असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्य को रोके जाने हेतु यह वाद विरुद्ध गैरसायलान् के पेश है। यदि दौराने प्रार्थनापत्र गैरसायल संख्या एक गैरसायल संख्या दो के समक्ष बेचान हस्तान्तरण का दस्तावेज केता के पक्ष मे पेश करे तो उसका पंजीयन नही करे तथा दौराने प्रार्थनापत्र पंजीयन कर दे तो उसका म्युटेशन केता के पक्ष मे पारित नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें। तथ्यो, परिस्थितियो व दस्तावेजात से प्रथम दृष्टिया मामला सायला के पक्ष मे प्रमाणित है तथा मौके पर सायला अपने हक हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होने से सुविधा का सन्तुलन भी सायला के पक्ष मे साबित है। यदि गैरसायल संख्या एक राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अपने नाम का गलत फायदा उठाकर उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण किसी अजनबी व्यक्ति को कर देता है, तो सायला अपने जायज पैतृक पुश्तैनी आराजी के हक अधिकारा से वंचित हो जायेगा एवं सायला को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी तथा सायला को अपने साम्पैतिक हक अधिकारो से महरुम होना पडेगा इसलिए इन तमाम परिस्थितियो मे सायला के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना[illegible]स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान्जी के समक्ष विरुद्ध गैरसायलान् के [illegible] प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि [illegible]पत्र मे वर्णित कृषिभूमि ख0नं0 629 रकबा 6-17 बीघा में से सायला अपने 1/8 हिस्से मे काश्त करे या करावें तो उसमे गैरसायल संख्या एक व उनके वारिसान हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार से दखल व दस्तन्दाजी नही करे तथा दौराने प्रार्थनापत्र गैरसायल संख्या एक किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष मे बेचान रजिस्ट्री गैरसायल संख्या दो के समक्ष पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

करे तो उसका पंजीयन नही करे व पंजीयन कर दे तो तहसीलदार जैतारण केता के नाम म्युटेशन पारित नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें तथा वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक यथावत् रखी जावें। प्रार्थनापत्र की अन्य कोई सहायता जो सायला प्राप्त करने की अधिकारी हो दिलायी जावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो सा0मि0 है। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित वंशावली कतई असत्य झूठी व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। सायला ने इस वंशावली में हरिया उर्फ हरिराम के पुत्रीयों का कोई हवाला नही देने से वंशावली अधूरी है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 मे वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि जवाब देहन्दा के नाम की होने के कथन सही होने से स्वीकार है। लेकिन इस पद में वर्णित खसरा नम्बरान 629 की भूमि जवाब देहन्दा की स्वअर्जित सम्पति है। जिसके राजस्व रेकर्ड में र०ग इन्द्राज होने का सायला ने झूठा कथन किया है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि सायला के पैतृक पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू परिवार की जायदाद होने के कथन भी कतई गलत है। हरिया उर्फ हरिराम के जीवनकाल में सायला का जन्म ही नही हुआ था। इस प्रकार से जब हरिया उर्फ हरिराम जी के जीवनकाल में पैदा ही नही हुई तोसायला का इस जायदाद में किसी भी प्रकार से कोई हक व अधिकार नही रहता है। बल्कि हरिया उर्फ हरिराम के जीवनकाल उपरान्त फौत होने पर उनके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान के नामान्तकरण की कार्यवाही हुई थी। उस समय सायला का जन्म ही नही हुआ था, साथ ही पश्चातवर्ती प्रकर्म में विधिक प्रकिया अनुसार बंटवाड़ा किया गया था। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन एवं लगाये गये आरोप कतई असत्य झूठे व वेवूनियाद होने से अस्वीकार है। सायला ने भूमि को पैतृक पुश्तैनी होना झूठा उल्लेखित किया है। इस प्रकार से इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में सायला का किसी भी प्रकार से कोई हक हिस्सा एवं हक अधिकार नही होने से सायला खातेदारी हक अधिकारो की घोषणा करवाने की कतई अधिकारीणी नही है। साथ ही इस प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि जवाब देहन्दा की स्वअर्जित सम्पति होने से उसे वैचान हस्तान्तरण करने का भी पूर्ण रूप से हक व अधिकार प्राप्त है। जिसे सायला रूकवाने की अधिकारिणी नही है। यद्यपि यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि जवाब देहन्दा [illegible] भूमि को किसी भी रूप में बैचान हस्तान्तरण करते हुये खुर्द बुर्द नही [illegible] रह[illegible] न ही पूर्व में खुर्द बुर्द किया है। इस प्रकार से सायला ने जवाब देहन्दा के [illegible] झूठे आरोप लगाते हुये दिनांक 08.02.2016 का भी झूठा उल्लेख किया है। इस प्रकार से सायला ने अपने इस प्रार्थना पत्र में विविध मुकदमें बाजी होने तथा अपने आप को अपूर्णीय क्षति होने के कथन भी झूठे अंकित किये है। सायला इस प्रार्थना पत्र के जरिये घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के कतई अधिकारी नही है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन एवं लगाये गये आरोप कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। सायला ने भूमि को पैतृक पुश्तैनी होना झूठा उल्लेखित किया है। इस प्रकार से इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में सायला का किसी भी प्रकार से कोई हक हिस्सा एवं हक अधिकार नही होने से सायला खातेदारी हक अधिकारो की घोषणा व लीरामबंटवाड़ा करवाने की कतई अधिकारीणी नही है। न ही उक्त भूमि सायला व गैरसायलान के बीच संयुक्त व सामलाती है। साथ ही इस प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि जवाब देहन्दा की स्वअर्जित सम्पति होने से उसे बैचान हस्तान्तरण करने का भी पूर्ण रूप से हक व अधिकार प्राप्त है। जिसे सायला रूकवाने की अधिकारिणी नही है। यद्यपि यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि जवाब देहन्दा इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को किसी भी रूप में बैचान हस्तान्तरण करते हुये खुर्द बुर्द नही कर रहा है। न ही पूर्व में खुर्द बुर्द किया है। इस प्रकार से सायला ने जवाब देहन्दा के विरूद्ध झूठे आरोप लगाते हुये दिनांक 08.02.2016 का भी झूठा उल्लेख किया है। इस प्रकार से सायला ने अपने इस प्रार्थना पत्र में विविध मुकदमें बाजी होने तथा अपने आप को अपूर्णीय क्षति होने के कथन भी झूठे अंकित किये है। सायला इस प्रार्थना पत्र के जरिये स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के कतई अधिकारी नही है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में सायला का कभी भी कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नही रहा था। न ही वर्तमान में है। इसलिए समस्त तथ्यो व परिस्थितियो एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायला की बजाय जवाब देहन्दा के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी जवाब देहन्दा को होगी। सायला ने इस प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्यो का समावेश करते हुये यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। उक्त तथ्यो के अलावा इस पद में वर्णित अन्य तमाम तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कतई गलत होने से खारिज किया जावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 लाबूराम जो कि प्रार्थीया का पिता है के नाम दर्ज वादग्रस्त भूमि ग्राम जैतारण की [illegible] संख्या 629 रकबा 06–17 बीघा में पैतृक पुश्तैनी आराजी होने के आधार [illegible] से अपना 1/8 हिस्सा निहित होनें के आधार पर अपने 1/8 [illegible] के घोषणा का दावा प्रस्तुत किया जो कि विचाराधीन है। मूल वाद के अनुतोष के सम्बन्ध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण पंजिका एवं जमाबन्दी से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी लाबूराम के नाम दर्ज है, जो कि लाबूराम को उसके पिता हरीया से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

विरासत में प्राप्त हुई है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र द्वारा सायला के अप्रार्थी लाबूराम की पुत्री होनें के सम्बन्ध में कोई आक्षेप कारित नहीं किया है। अतः वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निहित होना साबित होता है।

2. सुविधा का सतुंलन :– चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है तथा प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त पैतृक पुश्तैनी आराजी में जन्म से निहित अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत किया है। अतः सुविधा का सतुंलन प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णनीय क्षति :– चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित हुये है साथ ही भू–अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी में से पूर्व में 01–03 बीघा भूमि का बैचान किया है जिसका खसरा संख्या 629/24 है। इस प्रकार यदि अप्रार्थी को पाबन्द नहीं किया जाता है तो यह पूर्ण आशंका है कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण किया जा सकता है तथा ऐसे होनें पर वाद में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी एवं विलम्ब होगा। जिससे प्रत्यक्ष प्रार्थीया प्रभावित होगी। अतः यह स्पष्ट है कि यदि प्रार्थीया के पक्ष में एवं अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जाती है तो प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद बैचान, हस्तान्तरण न करनें हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निर्ष्कषतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी तहसील जैतारण के ग्राम जैतारण के खसरा संख्या 629 रकबा 06–17 का बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 25/02/2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)